

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बड़जलास- दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या --109/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोजेण्ट
कानाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी हथेली तहसील परवतसर जिला नागौर	राजस्थान सरकार तहसीलदार भकरी मौलास परवतसर जिला नागौर	जरिये नायब मौलास तहसील

उपरिस्थिति:-

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री भंवरलाल पोटलिया।
2. रेस्पोजेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय

दिनांक 31-01-2019


अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार, भकरी द्वारा मुकदमा नम्बर 02/2018 सरकार बनाम कानाराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.09.2018 को प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार भकरी मौलास ने अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 132 किस्म जमीन बाराणी 4 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानकर अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 132 रकबा 0.02 हैक्टेयर वाके सरहद मौजा हथेली से वेदखली का आदेश पारित कर 5/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिनांक 04.09.2018 को पारित किया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून तथ्यों व परिस्थितियों के विरुद्ध साक्ष्य व रेकर्ड के विरुद्ध तथा मौके की स्थिति के विरुद्ध होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील कर्तई गलत, विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.08.2018 को प्रकरण दर्ज कर दिनांक 04.09.2018 को मुझ अपीलाण्ट को तलब करने का आदेश पारित किया एवं दिनांक 04.09.2018 अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं जवाब पेश किया व पीठारीन अधिकारी से अनुरोध किया कि अपीलाण्ट/गैरसायल इस प्रकरण में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहता है एवं जवाब में भी अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिये एक ही पेशी में निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता के सभी प्रावधानों को नजरअंदाज कर निर्णय जैर अपील बिना सुनवाई का विधिवत अवसर दिये पारित किया गया है जिससे निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

खसरा नम्बर 132 रकबा 0.02 हैक्टेयर पर अपीलाण्ट का पीढियों पुराना बाडा बना हुआ है एवं अपीलाण्ट काश्तकार है। उक्त बाडे में अपीलाण्ट पीढियों से अपना पशुधन एवं चारे का स्टॉक करता चला आया है। उक्त भूमि आवादी भूमि के चिपटी-दुई एवं किस्म जमीन भी बाराणी 4 है। जिससे राज्य सरकार के नियमानुसार अपीलाण्ट को 09 बिस्वा तक निःशुल्क एवं 05 बिस्वा की नियमानुसार दर ली जाकर 10 बिस्वा भूमि तक नियमन की

वकील
श्री भंवरलाल पोटलिया



जानी चाहिए थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब लिये, बिना साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। 1977 से लगातार जिन काश्तकारों के पशुधन रखने के लिये बाडा नहीं है अथवा गांव में मकान नहीं है एवं जो भूमि प्रतिबंधित भूमि नहीं है। उक्त भूमि में बाडा अथवा मकान की भूमि नियमन करने के प्रावधान आज दिन तक विद्यमान है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने सरकारी नियमों एवं सर्कुलर पर गौर किये बिना ही एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

भूमि आबादी भूमि के चिपती है एवं प्रार्थी का बाडा पीढियों पुराना है, उक्त बाडे के पास में गणेशाराम, दीनाराम, धन्नाराम व देवाराम का इसी खसरे में बाडा व मकान बना हुआ है, अन्य कई काश्तकारों के भी इस स्थान पर बाडे व मकान बने हुए है। धन्नाराम सरकारी अध्यापक है एवं धन्नाराम ने षडयंत्र रचकर सम्पूर्ण भूमि को अपने कब्जे में लेने के उद्देश्य से मुझ अपीलांट को पटवारी हल्का से भिलावट कर नोटिस जारी करवाकर निर्णय जैर अपील पारित करवाया है एवं मुझ अपीलांट को शहादत सबूत का अवसर दिये बिना उक्त स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। जिससे निर्णय जैर अपील बिना साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित कर दिया गया है। जिससे भी मुझ अपीलांट को शहादत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय जैर अपील अपास्त कर पुनः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये जाने के आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत है।


प्रकरण में मुझ अपीलांट को पटवारी हल्का के नोटिस के आधार पर ही निर्णय जैर अपील पारित किया है। पटवारी हल्का के बयान तक नहीं लिये, न ही अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर दिया। जिससे मात्र पटवारी हल्का के एक नोटिस के आधार पर इस तरह का निर्णय जैर अपील पारित किया जाना कतई पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

निर्णय जैर अपील के नोटिस के प्रारूप क नियम 3 साईक्लोस्टाइल है एवं इसमें पूर्व तिथि 30.08.2018 लिखी गई है। उसे काटकर 04.09.2018 लिखा गया है तथा इसी प्रकार निर्णय जैर अपील भी प्रिन्टेड फार्म में पेन से खाली जगह भरकर साईक्लोस्टाइल प्रारूप में खानापूति की गई है। किसी प्रकार के विस्तृत तथ्य अभिवचनित नहीं किये गये है, जिससे भी निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

मातहत न्यायालय में निर्णय पारित करते समय अत्यन्त ही जल्दी एवं हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया है क्योंकि वर्तमान प्रकरण में ना तो अपीलांट को साक्ष्य व शहादत का अवसर दिया गया है व न ही जवाब हेतु उचित समय दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जैर अपील पारित किया है। जिससे भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शों में पटवारी हल्का द्वारा यह कहीं भी अंकन नहीं किया गया है कि अपीलांट ने किसी दिशा में, कितने भू-भाग पर अतिक्रमण किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट के विरुद्ध की गई कार्यवाही सरसरी तौर पर की गई है।

अपीलांट काश्तकार है एवं अपीलांट के इस बाडे के अलावा अन्य कोई पशुधन रखने अथवा पशुओं का चारा वगैरा रखने का स्थान नहीं है, एक तरफा निर्णय जैर अपील की आड में अपीलांट को बेदखल किये जाने से अपीलांट का पशुधन गवाड में आ जायेगा एवं उसके चारा के स्टॉक का भी कोई स्थान नहीं रहेगा। निर्णय जैर अपील एकतरफा में ही पारित होने से विधि विरुद्ध है। किस्म जमीन भी वारानी 4 होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 02/2018 बअनवान सरकार बनाम कानाराम में आदेश दिनांक 04.09.2018 को अपास्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ अधिनस्थ


राजस्व, नामी



न्यायालय को रिमाण्ड की जावे कि अपीलांट को शहादत सुनवाई का अवसर देकर पटवारी हल्का व अपीलांट की साक्ष्य ली जाकर निर्णय जैर अपील पारित करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया की अपीलांट द्वारा ग्राम हथेली के खसरा नम्बर 132 किस्म भूमि बारानी 4 के रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में भू-अभिलेख निरीक्षक बागोट से जॉच शुदा पटवारी हल्का बरेव की रिपोर्ट से अपीलान्ट का उक्त अतिक्रमण साबित है। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट स्वयं की तामील है। अपीलान्ट के जबाब अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर नायायज अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा होने के संबंध में भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। राजपैरोकार ने न्यायिक दृष्टान्त निगरानी/एल.आर./2885/2006/ नागौर मूलनाथ बनाम सरकार मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 24.04.2017 की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया की धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई आदि का अवसर प्रदान कर जैर अपील पारित किया गया है, जो सही होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण अपीलांट द्वारा ग्राम हथेली की खसरा नम्बर 132 किस्म भूमि बारानी 4 के रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में भू-अभिलेख निरीक्षक बागोट से जॉच शुदा पटवारी हल्का बरेव की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को जारी नोटिस पर अपीलान्ट स्वयं की तामील है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.09.2018 के अनुसार उक्त दिनांक 4.9.2018 को अपीलान्ट स्वयं न्यायालय उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय प्रस्तुत जबाब के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर नायायज अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा होने के संबंध में भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। उक्त संबंध में राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि जहां तक पुराने कब्जे के आधार नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई आदि का अवसर प्रदान कर जैर अपील पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खीवसर को उनकी मूल पत्रावली निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।
निर्णय सुनाया।



3/14
(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर नागौर